

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र,  
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर

## रुचि की अभिव्यक्ति नाई की दुकान हेतु



पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र,  
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर  
डुमना विमानतल मार्ग पोस्ट ऑफिस : खमरिया  
जबलपुर- 482005

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र,  
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण जबलपुर

दिनांक:

रुचि की अभिव्यक्ति

संस्थान परिसर में नाई की दुकान संचालन हेतु कार्य क्षेत्र (अनुबंध 1), नियम एवं शर्तें (अनुबंध 2), दिए गए प्रारूप (अनुबंध 3) में ईओआई के साथ अनुभव प्रमाण पत्र, शंसापत्र एवं वचन पत्र (अनुबंध 4) और चेक लिस्ट (अनुबंध 5) एवं अन्य दस्तावेजों के साथ 12 माह हेतु संस्थान परिसर में नाई की दुकान संचालन के लिए सीलबंद रुचि की अभिव्यक्ति पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए जाते हैं, साथ ही को कार्यालय में उपलब्ध उद्धरण बॉक्स (Quotation Box) में दिनांक 23 जून, 2023 या उससे पहले शाम 5:00 बजे तक जमा

करना होगा।

इच्छुक फर्मों को सूचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा प्रस्तुत सभी संलग्न दस्तावेजों के मूल के साथ संस्थान सभाकक्ष में प्रातः 10 बजे दिनांक 27 जून, 2023 को समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से आयें।

कुलसचिव

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र,

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण जबलपुर

## 1. कार्य का दायरा

1.1. चयनित फर्म को छात्रों/कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर की नाई की दुकान चलाने की अनुमति दी जाएगी।

1.2. आवंटन की अवधि एक वर्ष होगी, संतोषजनक सेवाओं पर बढ़ाई जा सकती है।

1.3. नाई की दुकान पूरे सप्ताह में सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुलेगी सिवाय किसी एक दिन के छुट्टी के दिन के रूप में (डीएसए कार्यालय और फर्म द्वारा पारस्परिक रूप से तय)। विशिष्ट दिनों में खोलने में असमर्थता के मामले में, चयनित फर्म को इसके लिए डीएसए कार्यालय से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए। जिसमें विफल रहने पर चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह के हर आयोजन के लिए जुर्माना 500/- रुपये होगा।

1.4. चयनित फर्म संस्थान द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अगले सात दिनों के भीतर नाई की दुकान चलाना शुरू कर देगी। यदि चयनित फर्म बिना किसी जानकारी के निर्धारित समय के भीतर नाई की दुकान शुरू करने में विफल रहती है, तो प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा।

1.5. चयनित फर्म केवल उन्हीं मदों की सेवाएं प्रदान करेगी जिनका उल्लेख दर सूची (अनुलग्नक 6) में किया गया है तथा सूची में किसी नई मद को शामिल करने के लिए डीएसए कार्यालय से अलग से अनुमोदन लिया जाना चाहिए।

1.6. चयनित फर्म नाई की दुकान के अंदर / बाहर उपयुक्त स्थान पर बाल कटवाने, मालिश, शेविंग आदि कार्य की अनुमोदित दर सूची प्रदर्शित करेगी।

1.7. नाई की दुकान में दी जाने वाली सेवा सूचीबद्ध दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

## 2. नियम और शर्तें

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण जबलपुर जिसे इसके आगे संस्थान या लाइसेंस के रूप में उल्लेखित किया जाएगा, द्वारा लाइसेंसधारक को निर्धारित (यहां उल्लिखित) शर्तों के अधीन लाइसेंस देने पर सहमति व्यक्त करने पर नाई की दुकान चलाने के लिए लाइसेंसधारी जिसे इसके आगे चयनित फर्म के रूप में उल्लेखित किया जाएगा, उसे 1500/- रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

**2.1** संविदा की अवधि 12 माह होगी, प्रथम 03 माह परिवीक्षा पर रहेगा, जिसके संतुष्ट होने पर शेष अवधि के लिए संविदा स्वतः ही बढ़ा दी जाएगी। किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिनों का स्पष्ट नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा केवल 15 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। छात्रों और डीएसए कार्यालय की सिफारिश के अनुसार अनुबंध को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

**2.2** चयनित फर्म को आवेदन पत्र में पूर्ण स्थायी एवं वर्तमान पता देना होगा।

**2.3** चयनित फर्म को संस्थान के साथ एक अनुबंध करना होगा। अनुबंध की शर्तें, चयनित फर्म के लाइसेंस की शर्तें और चयनित फर्म की स्वीकृति का पत्र हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते का एक हिस्सा होंगे। अनुबंध के लिए आवश्यक स्टाम्प पेपर की लागत चयनित फर्म द्वारा वहन की जाएगी।

**2.4** चयनित फर्म, जिसका आवेदन/उम्मीदवारी स्वीकार किया जावेगा, उस फर्म को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा और प्रस्ताव दिनांक से 07 दिनों के भीतर नाई की दुकान का संचालन आरंभ करना होगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में चयनित फर्म द्वारा किसी भी तरह की अपवंचन, इनकार या देरी की स्थिति में, उसके आवेदन की स्वीकृति वापस ली जा सकती है, और इस संबंध में संस्थान प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

## 2क. सामान्य नियम व शर्तें

**2क1.** चयनित फर्म को डीएसए कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार सभी दिन सभी सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। डीएसए कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण समय-समय पर, पहले एक महीने के बाद और उसके बाद हर तीन महीने में मूल्य सूची की समीक्षा करेगा।

**2क.2** नाई की दुकान पर किसी भी समय सभी सेवाओं, सामग्री/उपकरण और सेवाओं की जांच करने के लिए डीएसए कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय दौरा और निरीक्षण किया जा सकता है।

**2क.4** संस्थान ऋण बिक्री/हानि या चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

**2क.6** चयनित फर्म अपनी लागत पर दुकान के अंदर और आसपास सफाई की स्थिति को बनाए रखने के लिए बाध्य है। संस्थान के किसी भी स्टाफ सदस्य को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

**2क.7** चयनित फर्म नाई की दुकान चलाने के लिए सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आवश्यक शुल्क, लागू करों का सीधे संबंधित अधिकारियों को भुगतान करेगी और कुलसचिव को प्रमाण के रूप में विवरण प्रस्तुत करेगी।

**2क.8** चयनित फर्म और संस्थान के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के मामले में, निदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**2क.9** सभी कानूनी विवाद जबलपुर के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

**2क.10** चयनित फर्म के पास नाई की दुकान चलाने के लिए पर्याप्त उपकरण होने चाहिए।

**2क.11** चयनित फर्म को नाई की दुकान चलाते समय सभी सुरक्षा उपाय करने चाहिए और समय-समय पर एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को विधिवत अद्यतन रखना होगा। चयनित फर्म उसके द्वारा नियुक्त जनशक्ति की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगी।

**2क.12** चयनित फर्म द्वारा नियोजित कर्मचारियों की आयु, चरित्र का सत्यापन प्राप्त करना चयनित फर्म की जिम्मेदारी है।

**2क.13** चयनित फर्म किसी भी संक्रामक या संक्रामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को नाई की दुकान में नियुक्त नहीं करेगी और समय-समय पर उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करेगी।

**2क.14** चयनित फर्म किसी भी उद्देश्य के लिए परिसर के एक हिस्से या दूसरे हिस्से को किसी अन्य एजेंसी को किराये पर नहीं देगी।

**2क.15** चयनित फर्म यहां निर्धारित उद्देश्य के अलावा अन्य गतिविधियों को करने में शामिल नहीं होगी।

**2क.16** चयनित फर्म संस्थान को किसी भी क्षति के किसी भी या सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूरित करेगी, जो चयनित फर्म के किसी भी कर्मचारी को हो सकती है।

**2क.17** चयनित फर्म एक माह के भीतर अपने कर्मचारियों को अपने खर्च पर परिचय पत्र व वर्दी उपलब्ध कराएगी।

**2क.18** अनुबंध की अवधि की समाप्ति या नाई की दुकान चलाने के लिए लाइसेंस की समाप्ति के बाद, चयनित फर्म अपने व्यवसाय को बंद कर देगी और नाई की दुकान को खाली कर देगी। यदि वह नाई की दुकान को खाली करने में विफल रहता है, तो संस्थान चयनित फर्म के जोखिम और लागत पर उसकी वस्तुओं को हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**2क.19** चयनित फर्म को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार ऊपर दिए गए नियमों और शर्तों के अलावा, नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

**2क.20** चयनित फर्म के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा और और नाई की दुकान पर डीएसए कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण द्वारा निगरानी रखी जावेगी। यदि किसी भी समय प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संस्थान बिना कोई कारण बताए अपनी वैधता अवधि के दौरान अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**2क.21** नाई की दुकान को चलाने और खोलने/बंद करने का समय डीएसए कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

**2क.22** चयनित फर्म अपने कर्मचारियों का सिविल पुलिस से सत्यापन करवाएगी। किसी भी कर्मचारी/आगंतुक को संस्थान के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके पास संस्थान द्वारा जारी सुरक्षा पास नहीं है।

**2क.23** कीट/कृतक नियंत्रण चयनित फर्म द्वारा नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

**2क.24** चयनित फर्म के पास नाई की दुकान चलाने के लिए प्रदान की गई किसी भी जगह सहित संस्थान परिसर के किसी भी हिस्से में कोई अधिकार, शीर्षक या रुचि नहीं होगी।

**2क.25** चयनित फर्म परिसर में किसी भी प्रकार का सबलेट/संशोधन या परिवर्तन नहीं करेगी। संस्थान के पास अपने विवेकाधिकार पर निर्दिष्ट स्थान को बदलने का पूर्ण अधिकार होगा। चयनित फर्म संस्थान प्राधिकरण के स्वीकृति के बिना आंतरिक सज्जा का नवीनीकरण या परिवर्तन नहीं करेगी। यदि अनुमोदित हो, तो इससे होने वाली लागत चयनित फर्म द्वारा वहन की जाएगी।

**2क.26** बेची जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं की सूची को डीएसए कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है। नाई की दुकान में बेची जाने वाली किसी भी अतिरिक्त वस्तु/सेवा के लिए डीएसए कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

**2क.27** चयनित फर्म डीएसए कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण की अनुमति से नाई की दुकान के बाहर विज्ञापन (उसके काम के दायरे के लिए अप्रासंगिक) प्रकाशित नहीं करेगी।

**2क. 28** चयनित फर्म सभी ई-भुगतान विकल्प जैसे डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड भीम/यूपीआई/पेटीएम इत्यादि प्रदान करेगी।

## **2ब.शास्ति नियम व शर्तें**

**2ब.1** चयनित फर्म अनुबंध में सहमति के आधार पर किसी भी वस्तु की अधिक कीमत नहीं ले सकती यदि ऐसा पाया जाता है तो चयनित फर्म पर रुपये 1000/- की शास्ति लगाई जावेगी। यदि चयनित फर्म सहमत सूची की सभी सेवाएं प्रदान नहीं कर रही है, तो इसे सेवा अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे प्रत्येक वस्तु के लिए चयनित फर्म पर 500/- रुपये की शास्ति लगाई जावेगी।

**2ब.2** यदि चयनित फर्म निर्धारित तिथि तक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में विफल रहती है (जैसा कि डीएसए कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण द्वारा तय किया जाता है), तो प्रति माह 100 रुपये का जुर्माना या लाइसेंस शुल्क का 10%, जो भी अधिक हो, लगाया जाएगा। .

**2ब.3** चयनित फर्म नाई की दुकान पर काम करने के लिए किसी भी नाबालिग बच्चे को नियुक्त नहीं करेगी। चयनित फर्म को श्रम कानून और न्यूनतम मजदूरी नियमों का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर संस्थान द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

**2ब.4** नाई की दुकान द्वारा उत्पन्न कचरे के निपटान की जिम्मेदारी लाइसेंसधारक की होगी। जिसमें विफल रहने पर चेतावनी दी जाएगी। एक चेतावनी के बाद जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना रुपये 1000/- से शुरू होकर स्थितियों की आवृत्ति और गंभीरता के आधार पर रुपये 2000/- हो सकता है।

## **2स. अनुबंध अवधि**

**2स.1** एक औपचारिक समझौता किया जाएगा और यह शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और यदि सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार आवश्यक हो तो एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं, विषय संतोषजनक प्रदर्शन के लिए।

**2स.2** चयनित फर्म द्वारा अनुबंध/करार या उसमें किसी भी नियम और शर्त के उल्लंघन के मामले में, निदेशक, पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर कारण बताओ नोटिस देकर अनुबंध की शेष अवधि के लिए अनुबंध को रद्द कर सकता है। उचित समय जैसा कि निदेशक, पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर द्वारा चयनित फर्म को लिखित रूप में उचित लगता है। ऐसे निरस्तीकरण की स्थिति में चयनित फर्म की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। इस मामले में संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

## **2द. लाइसेंस शुल्क एवं अन्य शुल्क**

**2द.1** नाई की दुकान आवेदक के अनुभव/ साख और आवेदक के साथ डीएसए कार्यालय/संस्थान प्राधिकरण के व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर आवंटित की जाएगी। नाई की दुकान के लिए लाइसेंस शुल्क रु. 1500/- (रुपये एक हजार पांच सौ मात्र) प्रति माह होगी।

**2द.2** चयनित फर्म "PDPM-IIITDM जबलपुर के पक्ष में संस्थान द्वारा दिये गए प्रस्ताव के 10 दिनों के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) की सुरक्षा राशि जमा करेगी।

**2द.3** चयनित फर्म संस्थान में लागू दरों पर प्रभारित वाणिज्यिक दरों पर बिजली शुल्क का भुगतान करेगी। वर्तमान में पानी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हालांकि, भविष्य में संस्थान में लागू दरों पर जल शुल्क लिया जा सकता है।

## **2ई. अनुबंध की समाप्ति**

**2ई.1** यदि चयनित फर्म अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय अनुबंध के अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती है, तो संस्थान के पास अनुबंध को समाप्त करने की शक्ति होगी और उस स्थिति में रुपये 5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र) की जमानत राशि या जुर्माने के रूप में संस्थान के विवेक पर जब्त कर ली जाएगी।

**2ई.2** यदि नाई की दुकान अनुबंध अवधि के दौरान असंतोषजनक सेवाओं की रिपोर्ट देती है, तो संस्थान द्वारा चयनित फर्म को अपना औचित्य (पक्ष) देने के बाद अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। इस तरह की समाप्ति के कारण संस्थान को होने वाली हानि, यदि कोई हो, तो लाइसेंसधारी से वसूल की जाएगी। इस संबंध में निदेशक, पीडीपीएम-आईआईडीएम जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा।

**2ई.3** संस्थान के निदेशक लिखित में एक महीने का नोटिस देने के बाद बिना कोई कारण बताए समझौते की अवधि समाप्त कर सकते हैं।

## **2फ. मजदूरी, कल्याण एवं भुगतान की शर्तें**

**2फ.1** चयनित फर्म समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा लागू सभी श्रम कानूनों जैसे कि चिकित्सा व्यय, आकस्मिक लाभ, कामगार मुआवजा, न्यूनतम मजदूरी, बोनस और अन्य कल्याणकारी उपाय और लागू होने वाली अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करेगी।

**2 फ.2** चयनित फर्म किसी भी नियम/कानून के उल्लंघन के लिए श्रम विभाग या किसी अन्य विभाग या कानून की न्यायालय द्वारा लगाए गए किसी भी दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

**2 फ.3** किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।

**2 फ.4** भारत सरकार/श्रम कानूनों/न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के नियमों के अनुसार तैनात सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए।

**2 फ.5** चयनित फर्म को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार सभी तैनात कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान करना होगा।

**2 फ.6** झूठी पर रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों/ ऑपरेटरों को (i) नशे में या नशे में नहीं होना चाहिए (ii) शिष्ट व्यवहार (iii) का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और (iv) साफ और स्वच्छ होना चाहिए।

**2 फ. 7** कर्मचारियों/ ऑपरेटरों को परिसर का उपयोग निवास के रूप में नहीं करना चाहिए। स्वीकृत आधिकारिक समय से परे स्थान का उपयोग केवल विशेष उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। (जैसे माल प्राप्त करना, कीटाणुशोधन, सूची, आदि)

**2फ.8** ऑपरेटिंग स्टाफ का व्यवहार नरम और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए।



तारीख: .....

आवेदन फार्म

समिति,

नाई की दुकान

पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर



महोदय,

मुझे नाई की दुकान चलाने में रुचि है। कृपया मेरी उम्मीदवारी पर विचार करें। मैंने कार्य क्षेत्र और अनुबंध के नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है, और यदि मुझे नाई की दुकान का अनुबंध दिया जाता है, तो मैं इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम: .....

पिता का नाम: .....

वर्तमान पता: .....

स्थायी पता .....

.....

मोबाइल नंबर: .....

संलग्न:

1.

2.

3.

वचन पत्र

1. मैं/हम वचन देता हूँ कि मैंने/हमने पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर के प्रस्तावित कार्य के सभी नियमों और शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और मापदंडों को समझा है और उनका पालन करेंगे।
2. मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि मैंने/हमने "कार्य के संचालन के लिए मानक और तकनीकी विशिष्टताओं" को समझ लिया है और इन मापदंडों के अनुसार कार्य का सख्ती से संचालन करेंगे।
3. मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि फर्म को किसी भी सरकारी विभाग या संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
4. मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि इस (ईओआई) में दी गई जानकारी सभी तरह से सत्य और सही है और हम इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं।

दिनांक: \_\_\_\_\_

(फर्म की मुहर के साथ आवेदक के हस्ताक्षर)

जगह: \_\_\_\_\_

पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र,

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण जबलपुर  
डुमना एयरपोर्ट रोड, पी.ओ. खमरिया, जबलपुर- 482005

जांच सूची

1. मालिक का नाम:
2. एजेंसी का नाम:
3. समकक्ष क्षेत्र में अनुभव का विवरण (एजेंसी से प्रतियां संलग्न करें)

स.क्र .	समयावधि		संस्था	सेवाओं का विवरण
	कब से	कब तक		

(यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)

4. पैन नंबर (प्रमाण संलग्न करें):
5. फर्म/नाई की दुकान की पंजीकरण संख्या (प्रमाण संलग्न करें):
6. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नाई की दुकान चलाने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज:

आवेदक के हस्ताक्षर

नाई की दुकान के लिए दर सूची  
समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक

काम	दर
साधारण बाल काटना	50
स्टाइलिश बाल काटना	60
सामान्य शेविंग (शेविंग क्रीम)	30
फोम शेविंग	50
फेशियल	50
चेहरे की मालिश	30
अन्य	
(1) फेशियल (सामान्य)	100
(2) फेशियल (गोल्ड / स्पेशल)	200
(3) बालों का रंग	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	
(8)	